[2010] 5 एस. सी. आर. 1156

रवींद्रनाथ सिंह

बनाम

वी. राजेश रंजन @ पप्पू यादव और अन्य

आपराधिक अपील संख्या 959/2010

3 मई, 2010

[मार्कंडेय काटजू और ए. के. पटनायक, जे. जे.]

जमानतः

उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके विपरीत निर्देशों के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत प्रदान करना *- अभिनिर्धारित:अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के जमानत दी गई है, सिवाय यह कहने के कि अपील पर छह महीने में सुनवाई होने की संभावना नहीं है-इस तरह के विचार को मंजूरी नहीं दी जा सकती है जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा पहले ही बड़ी संख्या में आवेदनों को खारिज कर दिया गया था-उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जमानत के लिए आरोपी के किसी भी आगे के आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए, जमानत देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के

आदेश की अवमानना के बराबर है-जब इसे दोषसिद्धि से पहले जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया गया था, तो यह दोषसिद्धि के बाद जमानत के लिए और भी कम उपयुक्त मामला है-उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया और अभियुक्त को हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया।

न्यायालय की अवमाननाः

राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पु यादव बनाम सी. बी. आई. अपने निदेशक के माध्यम से (2006) 9 पूरक. एस. सी. आर. 40 = (2007) 1 एस. सी. सी. 70, संदर्भित।

न्यायालय की अवमाननाः

बेंच होपिंग की रणनीति-उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान, जिसमें अभियुक्त को जमानत देने के आदेश को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में खारिज कर दिया गया था, अभियुक्त के अधिवक्ता ने बेंच को अभियुक्त द्वारा लिखा हुआ पत्र सौंप दिया कि उसके मामले की सुनवाई उस पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसमे उसके द्वारा नामित न्यायाधीश सदस्य नहीं हो. अभिनिर्धारित: प्रत्यर्थी-अभियुक्त का आचरण अवमाननापूर्ण है, हालांकि, न्यायालय ने इस तरह के पत्र-जमानत भेजने के लिए प्रत्यर्थी-अभियुक्त के

खिलाफ न्यायालय की अवमानना के लिए नोटिस जारी करने से खुद को रोक लिया।

मामला कानून संदर्भः

(2006) 9 पूरक एस. सी. आर. 40 संदर्भित पैरा 6

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार निर्णयः

आपराधिक अपील सं. 959/2010।

एस. सी. आर. पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 18.02.2009 से। आपराधिक अपील (डी. बी.)सं. 418/2008।

आपराधिक अपील सं. 960/2010

के साथ

उपस्थित पक्षों के लिए एच. पी. रावल, ए.एस.जी., ए.सरन, अमित पवन, वी. के. बीजू, सी. डी. सिंह, जे. एम. अब्राहम, बी. कृष्ण प्रसाद, राकेश कुमार सिंह, विजय प्रताप सिंह, प्रेम प्रकाश, अरविंद कुमार शर्मा।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

आदेश

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. दोनों याचिकाओं में अनुमति दी गई।

3. ये अपीलें पटना में उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और दिनांक 1.18.2009 के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें प्रत्यर्थी राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव को सत्र परीक्षण संख्या 976/1999 में जमानत दी गई है।

4. प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने हमें प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता को लिखा गया दिनांक 1.5.2010 का एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया है कि वर्तमान मामले की सुनवाई एक पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसमें से एक (मार्कण्डेय काटजू, जे.) सदस्य नहीं हो। उक्त पत्र को रिकॉर्ड में लिया गया है।

5. पत्र को पढ़ने के बाद, हम इस तरह का पत्र भेजने के लिए प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन हमने खुद को रोक लिया है, हालांकि यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-अभियुक्त का आचरण अवमाननापूर्ण है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह अदालत किसी आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेंच को हटाने की रणनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी।

6. हमने मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया है और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि प्रतिवादी-अभियुक्त की पहले की दो जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।इसके अलावा इसी

आरोपी के मामले में।राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पु यादव बनाम सी. बी. आई. अपने निदेशक (2007) 1 एस. सी. सी. 70 के माध्यम से, इस न्यायालय ने पैरा 24 में निम्नानुसार टिप्पणी की है।

"24. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में किसी भी अदालत द्वारा जमानत के लिए आगे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय और इस अदालत दोनों द्वारा पहले ही बड़ी संख्या में जमानत आवेदन खारिज किए जा चुके हैं।

हम आश्चर्यचकित हैं कि इस अदालत के उपरोक्त स्पष्ट निर्देश के बावजूद, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी आरोपी को जमानत दे दी है।वास्तव में, उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश इस न्यायालय के आदेश की अवमानना के बराबर है क्योंकि इस न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्त की आगे कोई जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णय मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत को अस्वीकार करते हुए दिया गया था, जबकि अब निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि ठहराए जाने के बाद अपील में जमानत आवेदन किया गया था ।

हमारी राय में, जब यह मामला दोषसिद्धि से पहले जमानत के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, यह दोषसिद्धि के बाद जमानत के लिए और भी कम उपयुक्त मामला है।

9. प्रत्यर्थी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं लेकिन हम यहां उस में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अपीलीय अदालत को पूर्वाग्रहित नहीं करना चाहते हैं।हालाँकि, हम अपना खेद व्यक्त करना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के जमानत दी गई थी, सिवाय यह कहने के कि अपील पर छह महीने में सुनवाई होने की संभावना नहीं है।यदि ऐसे आधार पर जमानत दी जाती है तो लगभग हर मामले में जमानत देनी होगी, भले ही अपराध जघन्य हो।हम इस तरह के विचार को स्वीकार नहीं कर सकते।

10. दिए गए कारणों के लिए, हम 18.02.2009 दिनांकित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं और इन अपीलों की अनुमति देते हैं।यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी-आरोपी राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव को तुरंत हिरासत में लिया जाए।

अपीलों की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।